

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या-423 /XXV-12(9) /2018

देहरादून : दिनांक 08 फरवरी, 2020
जून,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त अपीलीय प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पत्र संख्या- 2913 दिनांक 4 जून 2020 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे अनुरोध सहित यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यह अन्तरिम व्यवस्था है। विभागीय प्रथम अपील हेतु भी उपरोक्त माध्यम से ही सुनवाई की जा सकती है।

अतः मा० सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यवोपारि

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न०- 0135-2675780, फ़ैक्स न०- 0135-2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.gov.in>

पत्रांक : 2913 / मु0सू0आ0 / उ.सू.आ. / 2020-21 दिनांक 04/06/2020

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त सचिव, (लोक प्राधिकारी)
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, (लोक प्राधिकारी)
उत्तराखण्ड।


विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त अपीलीय प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण महामारी के दृष्टिगत जनहित तथा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में सुनवाई ऑडियो/वीडियो कॉल के माध्यम से या लिखित अभिकथन के आधार पर ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी सूच्य है कि कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत यह अन्तरिम व्यवस्था है।

विभागीय प्रथम अपील हेतु भी उपरोक्त माध्यम से ही सुनवाई की जा सकती है। कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव